15/5/23 अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/05/23 को पेश हो।

18/5/23 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में पेश हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। आदेश इस आशय का TOR KPR के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 03/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शिवभगवान पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 31 एफ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।		1. सरवन राम पुत्र धना राम जाति मेघवाल निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—21.02.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रार्थी

——निर्णय——

दिनांक : 18.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 31 एफ, पटवार मण्डल अरायण की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66 के मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 20 में आवेदक की कृषि भूमि है। मुरब्बा नं0 26 के उतरी दिशा में किला नं0 1 से 5 के साथ-साथ सरकारी स्वीकृत रास्ता मौका पर चालू है। आवेदक को अपनी मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 20 में प्रवेश करने के लिए मुरब्बा नं0 26 के किला न0 1, 10, 11 में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है, जबकि मौका पर उक्त रास्ता कई वर्षो से चालू है और आवेदक द्वारा उक्त रास्ता उपयोग व उपभोग करते हुये मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 20 तक आता जाता है। उक्त भूमि के बदले में आवेदक ने चक 31 एफ के खाता संख्या 24 के मुरब्बा नं0 27 के किला नं0 1/1 में अपनी 0.100 हैक्टर भूमि अनावेदक संख्या 1 को सरवन राम को काश्त करने हेतु दे रखी है, क्योकि रकबा अनावेदक संख्या 1 की शेष भूमि से चिपती हुयी है। आवेदक उपर्युक्तानुसार अपनी कृषि भूमि के लिए मौखिक रूप से छोडे हुये रास्ता का उपयोग तो अवश्य कर रहा है, लेकिन राजस्व अभिलेख में उक्त किलाजात नं0 1, 10, 11 की दो-दो बिस्वा भूमि रास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहता है। उक्त मार्ग स्वीकृत किया जाना आवेदक की आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और इस मार्ग के अतिरिक्त विशिष्ट रूप से या वैकल्पिक रूप से मार्ग या साधन का अभाव हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु आवेदक ने अनावेदक संख्या 1 से कई बार पंचायत के समक्ष मांग की हैं और कहा कि दोनो पक्ष आपसी सहमति से उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर, राजस्व अभिलेख में अंकन करवा लेवे तो अनावेदक संख्या 1 ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प आवेदक के पास शेष नही रहा। इस कारण आवेदक विधिक प्रावधानों के अनुरूप उक्त आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 31 एफ, पटवार मण्डल अरायण के मुरब्बा नं0 26 के किला न0 1, 10, 11 में 2-2 बिस्वा यानि कुल 6 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में उक्त रकबा "रास्ता" [illegible] में अभिलिखित किये जाने के आदेश तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर [illegible]

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष [illegible] व जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि चक 31 एफ, पटवार मण्डल अरायण के मुरब्बा नं0 26 के किला न0 1, 10, 11 में 2-2 बिस्वा यानि कुल 6 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में उक्त रकबा "रास्ता" के रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिए जावे तथा उक्त रास्ता की कुल भूमि 0.078 हैक्टर के बदले, चक 31 एफ के खाता संख्या 24 के मुरब्बा नं0 27 के किला नं0 1/1 में आवेदक के नाम दर्ज 0.100 हैक्टर भूमि अनावेदक संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:19 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पत्रांक 378 दिनांक 21.03.2023 के साथ मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक अरायण, फर्द मौका मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 31 एफ के मुरब्बा नम्बर 26 व 27 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया गया कि मौके पर मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1, 10, 11 में से आने-जाने हेतु रास्ता चालू है। उक्त चाहे गए रास्ते के बदले सहमति से मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 में से 0.100 हेक्टैयर रकबा शिवभगवान पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट द्वारा दिया जा रहा है। चाहे गए रास्ते से सभी काश्तकार सहमत है। उक्त भूमि को कही से भी रिकॉर्डड रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यातिंक आवश्यकता है। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, राजीनामा, शपथ पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चक 31 एफ के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 20 तक पहुचने के लिए रास्ते की मांग की गई है। उक्त रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अप्रार्थी संख्या 1 सरवन सिंह रास्ता देने हेतु सहमत है। प्रार्थी द्वारा रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी को चक 31 एफ के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 में से 0.100 हेक्टैयर भूमि देने हेतु सहमति दर्शाई है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। यह प्रार्थी की आत्यतिंक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66/66 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1, 10, 11 में उतर से दक्षिण दिशा में पश्चिमी डोली के साथ-साथ प्रत्येक में 2-2 बिस्वा भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.0759 हेक्टैयर भूमि के बदले अप्रार्थी सरवन राम पुत्र धन्ना राम को 0.100 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थी शिवभगवान की सहमति से चक 31 एफ के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 में से देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना वावत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:19 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 18.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), राजस्थान
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री गंगानगर
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं:– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2023/209 दिनांक :-18.05.2023

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 03/2023 अनवान शिवभगवान बनाम सरवन कुमार आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 18.05.2023 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2023 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66/66 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1, 10, 11 में उतर से दक्षिण दिशा में पश्चिमी डोली के साथ-साथ प्रत्येक में 2-2 बिस्वा भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.0759 हेक्टैयर भूमि के बदले अप्रार्थी सरवन राम पुत्र धन्ना राम को 0.100 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थी शिवभगवान की सहमति से चक 31 एफ के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 में से देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:19 IST
Reason: SelfAttested